न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

मुत.(6ए)संख्या 29/24
GCMS NO :–2024/139

वर्ष 2024

बउनवानीः–सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक सवाईमाधोपुर, जिला सवाई माधोपुर

बनाम

बनवारी लाल गर्ग पुत्र गजानन्द गर्ग निवासी गौत्तम कॉलोनी सवाईमाधोपुर
(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ऐ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955)

उपस्थित :– श्री प्रहलाद मीना (प्रवर्तन निरीक्षक)
श्री श्याम सुन्दर गुप्ता

पैरोकार, रसद
वकील अप्रार्थी

–: निर्णय :– दिनांक 13.8.2025

प्रवर्तन निरीक्षक, सवाईमाधोपुर द्वारा दिनांक 8.10.2024 को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के नियम 6.ऐ के तहत इस न्यायालय मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 19.9.2024 को खाद्य विभाग राज0 जयपुर के आदेशो की पालना में जिला रसद अधिकारी के निर्देशानुसार घरेलु एल.पी.जी.गैस का अवैध व्यवसायिक कार्यो मे दुरूपयोग रोकने हेतु गठित संयुक्त जॉच दल द्वारा की गयी. जॉच कार्यवाही के दौरान अप्रार्थी की फर्म मेसर्स बनवारी फ्लोर मील गौत्तम कॉलोनी आकाशवाणी के पीछे सवाईमाधोपुर पर घरेलू गैस सलेण्डर का अवैध भण्डारण पाये जाने पर जब्त कर कब्जे राज लिये गये 16 गैस सिलेन्डर को राजसात (Confiscate) किये जाने बाबत निवेदन किया गया।

प्रकरण न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करने पर दर्ज पंजिका में इन्द्राज कियां जाकर सुनवायी हेतु अप्रार्थी की तलबी जरिये नोटिस की गयी।

तत्पश्चात् बहस पैरोकार रसद एवं वकील अप्रार्थी सुनी गयी।

पैरोकार रसद ने दौराने बहस प्रवर्तन निरीक्षक सवाईमाधोपुर की ओर से इस न्यायालय में दिनांक 8.10.2024 को अन्तर्गत धारा 6 (ऐ) आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि संयुक्त जॉच दल के साथ श्रीमति पूजा मीना प्रर्वतन निरीक्षक, बहमराह, श्री कीर्तेश मीना प्रवर्तन निरीक्षक, सुश्री ज्योति शर्मा प्रर्वतन निरीक्षक, द्वारा विभागीय निर्देशों की पालना में एलपीजी गैस के अवैध दुरूपयोग की जॉच हेतु दिनांक 19.9.2024 को अप्रार्थी की मेसर्स बनवारी फ्लोर मील गौत्तम कॉलोनी आकाशवाणी के पीछे सवाईमाधोपुर पर पहुॅचकर आकस्मिक जॉच की गई। मौके पर वरवक्त जॉच श्री बनवारी लाल गर्ग पुत्र गजानन्द गर्ग निवासी गौत्तम कॉलोनी सवाईमाधोपुर उपस्थित मिले जिनकी उपस्थिति में जॉच की गयी। वरवक्त जॉच मौके पर 14.2. किलोग्राम के 16 घरेलू गैस सिलेण्डर का अवैध भण्डार एवं फर्म पर व्यवसायिक कार्य मे अवैध उपयोग लेते हुए पाया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा अपनी फर्म पर घरेलू गैस सलेण्डर का उपयोग किया गया है जो द्रवित पेट्रोलियम गैस (वितरण एवं विनियमन) आदेश 2000 का उल्लंघन है एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अप्रार्थी के व्यवसाय स्थल पर पाये गये निम्न घरेलू 10 गैस सलेण्डर 14.2 किग्रा एवं 6 व्यवसायिक गैस सलेण्डर तथा दो गैस रिफलिंग मशीन, रेगूलेटर अप्रमाणित को जब्त कर दुरूपयोग रोकने की दृष्टि से कब्जेराज लिया गया एवं निम्नानुसार जब्त किये गये सलेण्डर का निरीक्षण पर्चा,फर्द अभिग्रहण,व सुपुर्दगीनामा, मौके पर तैयार कर मैसर्स रणथम्भौर गैस ऐजेन्सी बजरिया,. सवाईमाधोपुर के प्रतिनिधि [illegible] सैन पुत्र श्री विष्णु कुमार सैन को अग्रिम आदेश तक सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्द [illegible] है। मौके पर से निम्न विवरणानुसार गैस सिलेन्डर जब्त किये गये है

Signature Not Verified
Digitally signed by Kana Ram
Date: 2025.10.21 15:36:11 IST
Reason: SelfAttested

(काना राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

(मुत. 6ए संख्या 29/2024 सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक बनाम बनवारी गौत्तम)

क्र.सं.	कम्पनी का नाम	एस.आर.नं.	खाली सिलेण्डर का वजन किग्रा	मौके पर वजन किये गये सिलेण्डर का भार किग्रा	शुद्व गैस वजन किग्रा
1.	भारत	598325	15.600	15.600	0.000
2.	आईओसीएल	1547	15.500	15.500	0.000
3.	भारत	906510	15.800	15.800	0.000
4	आईओसीएल	050518	16.400	30.100	13.700
5	आईओसीएल	522591	15.600	15.600	0.000
6	एचपीसीएल	019974	15.800	29.700	13.900
7	आईओसीएल	0271320	15.500	25.500	10.000
8	एचपीसीएल	306138	15.500	29.700	14.200
9	आईओसीएल	260427	15.700	29.700	14.000
10	आईओसीएल	082305	15.600	29.800	14.200
11	एचपीसीएल	014057	19.200	30.300	11.100
12	एचपीसीएल	016308	19.200	19.650	0.450
13	एचपीसीएल	08250	19.000	24.600	5.600
14	आईओसीएल	016486	19.000	25.700	6.700
15	एचपीसीएल	00875	19.200	19.500	0.300
16	आईओसीएल	033658	19.200	21.150	1.950
	कुल गैस भार		271.800	377.900	106.100

अप्रार्थी का उक्त कार्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध की श्रेणी मे आता है। अतः प्रस्तुत 6 ऐ प्रार्थना पत्र स्वीकार कर जब्त किये गये 16 गैस सिलेन्डर 2 रिफलिंग मशीन, एक रेगूलेटर अप्राणित को राजसात किये जाने बाबत पैरोकार रसद द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील अप्रार्थी द्वारा दौराने बहस कथन किया कि यह प्रकरण जॉच दल द्वारा अप्रार्थी के विरूद्व निराधार तथ्यो के आधार पर बनाकर मेरे घरेलू एवं व्यवसायिक गैस सलेण्डर को अवैध भण्डारण का आरोप बिल्कुल गलत है। क्योकि जब्त किये गये सारे गैस सलेण्डर नियमित कनेक्शन के थे उनमे से कुछ आवश्यकतावश प्रयोग में लाये गये थे। मुझ अप्रार्थी के मकान के आगे के हिस्से मे आटा चक्की है तथा पिछले हिस्से में परिवार रहता है। मुझ अप्रार्थी के दो एच. पी गैस सलेण्डर तथा दो गैस सलेण्डर इण्डेन का कनेक्शन मेरे पुत्र हनुमान के नाम है तथा मेरी बेटी निशु गर्ग के नाम इण्डेन का गैस कनेक्शन होने के कारण दो गैस सलेण्डर उसके नाम के है इसके अतिरिक्त मेरी सास सुशीला देवी के मकान मे चोरी हो जाने के कारण उसके सामान मेरे मकान पर रखे थे जिनमे दो गैस सलेण्डर इण्डेन के उसके थे। इसके अलावा मेरे मकान मे एक कमरा व दुकान अब्दुल सलाम को किराये पर दे रखा है इसलिए दो गैस सलेण्डर भारत पेट्रोलियम का कनेक्शन उसके नाम होने से दो गैस सलेण्डर उसके थे। ओम प्रकाश का दिनांक 9.7.2024 को देहान्त हो गया था जिसके बारह ब्राहामण व जीमण कार्य आदि भी मुझ विपक्षी ने किया था जिस कारण उक्त सलेण्डर एक ही जगह एकत्रित कर रखे है। जिनमे से कुछ उपयोग मे लिये गये थे इसके अलावा गौत्तम कॉलोनी मे [illegible] से बनाया गया था जिसका पाण्डाल मुझ अप्रार्थी के मकान/फ्लोरमील के सामने [illegible] तथा [illegible] विपक्षी उक्त कार्यक्रम का प्रमुख कार्यकर्ता होने के कारण उक्त कार्यक्रम के लिए 8 व्यवसायिक [illegible] सलेण्डर का प्रबंध किया गया था। जिसमे 4सलेण्डर एच.पी. के एवं 2 सलेण्डर इण्डेन के थे जिनमे से एक व्यवसायिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Kana Ram
Date: 2025.10.21 15:36:11 IST
Reason: SelfAttested

(काना राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

गैस सलेण्डर्स कलेक्ट्रेट रोड़ पर गणेश डयेरी के महावीरजी घी वाले से एवं महावीर जी की दुकान के पास स्थित दाल बाटी वाले मोहनलाल जी से 1 सलेण्डर तथा पारीक होटल के नीचे बजरिया मे स्थित मिठाई की दुकान शेखावटी मिष्ठांन भण्डार सुरेश भोजनालय वाले से एवं 1 गैस सलेण्डर गौत्तम रेस्टोरेन्ट से लाया था। उपयोग मे लेने के बाद उनमे थोडी गैस भी बच गयी थी जिन्हे वापिस लोटोने के लिए संबंधित व्यक्तियों के पास लेकर जा रहा था लेकिन उसी समय प्रर्वतन निरीक्षक द्वारा जब्ती कार्यवाही कर उक्त सभी गेस सलेण्डर जब्त कर लिये गये है । अप्रार्थी आटा चक्की चलाने का व्यवसाय करता है गैस रिफलिंग जैसा कोई कार्य नही करता है। अतः अप्रार्थी की फर्म पर अप्रार्थी विरूद्व की कार्यवाही ड्रोप कर प्रकरण मे जब्त 16 गैस सलेण्डर मुझ अप्रार्थी का वापस लोटाये जाने बाबत वकील अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार रसद एवं वकील अप्रार्थी को सुनने एवं संबंधित पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि अप्रार्थी की फर्म से प्रवर्तन निरीक्षक सवाईमाधोपुर द्वारा दिनांक 19.9.2024 को जॉच के दौरान जब्त किये गये 16 गैस सलेण्डर व्यवसायिक प्रतिष्ठान पर रखने की कोई विधिक स्वीकृति एवं उचित कारण नही बताया गया है। जहॉ तक जब्त किये गये सलेण्डर फर्म मालिक के पारिवारिक सदस्यों , किरायेदार, रिश्तेदार एवं मिलने वालो के होने बाबत किये गये कथन का प्रश्न है तो उक्तानुसार किये गये कथन के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किया गया है। जहॉ तक गैस कनेक्शन डायरी की छायाप्रति पेश करने का प्रश्न है तो उक्त डायरी मे सलेण्डर नम्बर अंकित नही है इसलिए उक्त दस्तावेज के आधार फर्म मालिक पर लगाये आरोप कम नही हो जाते है । फर्म मालिक द्वारा उक्त जब्त किये गये गैस सलेण्डर दीगर व्यक्तियों के भी बताये गये है किन्तु किसी भी व्यक्ति द्वारा उक्तानुसार गैस सलेण्डर की सुपुदर्गी बाबत कोई प्रार्थना पत्र न्यायालय मे पेश नही किया है। दौराने जब्ति कार्यवाही मौके पर जब्त दो रिफलिंग मशीन बरामद हुई है जिसके आधार पर उक्त गैस सलेण्डर्स का उपयोग रिफलिंग के लिए किये जाने की पुष्टि होती है। अप्रार्थी अपने प्रतिष्ठान पर इतनी अधिक मात्रा में घरेलू/व्यवसायिक गैस सलेण्डर रखने अथवा उपयोग के संबंध में कोई ठोस विधिक कारण बताने मे असमर्थ रहा है। ऐसी स्थिति में प्रवर्तन निरीक्षक स0मा0 द्वारा की गयी जब्ती कार्यवाही में कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अंतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रवर्तन अधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत 06 ऐ प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वरवक्त जॉच कब्जे राज लिये गये उक्त 16 गैस सिलेन्डर मय अन्य सामग्री को राजसात (Confiscate) किया जाता है। जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण मे जब्त 16 गैस सलेण्डर एवं अन्य सामग्री का नियमानुसार निस्तारण करवाकर पालना रिपोर्ट अन्दर एक माह इस न्यायालय को भिजवावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.8.2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(काना राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kana Ram
Date: 2025.10.21 15:36:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner